

29/11/19

राज्य बाड़मेर

पत्रावली फेब्रुवारी महिनेच्या मधील  
 की पूर्व में कसम सुनी गरी कसम  
 सुनी एवं पत्रावली के अवलोकन  
 के पश्चात आयातक इल निष्कर्ष  
 पर पहुंचा कि एलगत प्रकण  
 का निष्कासन लक्ष्मी की विंडो  
 के माध्यम पर किए जाने की कार्य  
 उपचारण पर काना सुनिश्चित  
 एवं आयातक से लिहाय अपील  
 अन्तर् निपाद सुना की जाती है।  
 अधीनस्थ आयातक इल अपीलकर्ता  
 निर्णय व जिरी अपीलोर को



नारीख  
हुक्म

सुनवाई का समुचित भवसर दि  
बिना एकपक्षीय पारि किया गया।  
अपीलॉर के भयन की सूचना  
के लिए सुनवाई का भवसर  
दिया उसका ज्ञापित अधिनियम  
अपीलाधीन निर्णय व डिप्टी  
पारि करते समय अधीनस्थ  
जायालय द्वारा विधि द्वारा ज्ञापित  
उक्ति का पालन नहीं किया गया  
है जो प्राथमिक ज्ञापसिंहान्त  
के खिलाफ ही उक्त विवेचन  
एवं तथ्यों के माताम में अपील  
निगूण्ड करते योग्य दृष्टी है।  
भार: अपील अपीलॉर वहीकार  
का अधीनस्थ जायालय प्रहायउ  
कलकर जोक्षण द्वारा पारि  
अपीलाधीन निर्णय व डिप्टी विपंड  
25/06/2013 को अपील का नाम  
अधीनस्थ जायालय को इस निर्णय  
के साथ उत्तरेषि किया जाता है कि  
अपीलॉर को सुनवाई का भवसर  
दिए हुए उणाकरण पर पुन: निर्णय  
पारि को ज्ञापित से जलाय सुनाया।  
पतावनी के साथ वृत्तम नम्बर मे  
कम देखा बाइ तकनीक पारि करे है।



25/06/13  
राज्य अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर